सं. 36036/2/2013-स्था.(आरक्षण)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 30 मई, 2014

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव

विषयः अ.पि.व. जाति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रारूप में संशोधन।

महोदया/महोदय,

भारत सरकार ने, भारत सरकार की सेवाओं एवं पदों में अ.पि.वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के निमित्त कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 36012/22/93-स्था.-(एससीटी) द्वारा दिनांक 8 सितंबर, 1993 को अनुदेश जारी किए थे। जाति प्रमाण-पत्र के प्रारूप को दिनांक 15 नवंबर, 1993 के का.ज्ञा. सं. 36012/22/93-स्था.(एससीटी) के अनुबंध-क द्वारा निर्धारित किया गया था। उक्त प्रारूप में, तत्कालीन कल्याण मंत्रालय के दिनांक 10 सितंबर, 1993 के संकल्प सं. 12011/68/93-बीसीसी (सी) का उल्लेख किया गया था जिसमें उस समय तक अन्य पिछड़ा वर्ग मानी जाने वाली जातियों एवं समुदायों की सूची समाविष्ट थी। तब से लेकर अब तक सामाजिक न्याय सशक्तीकरण मंत्रालय के विभिन्न संकल्पों के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्गों की केन्द्रीय सूची में अनेक जातियों एवं समुदायों को शामिल किया गया है। दिनांक 10 सितंबर, 1993 के संकल्प के परवर्ती संकल्पों के ब्योरों का वर्तमान प्रारूप में उल्लेख नहीं मिलता है। उक्त प्रारूप में यह भी निर्धारित किया गया है कि प्रमाण-पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी यह स्पष्ट उल्लेख करे कि उम्मीदवार दिनांक 8.9.1993 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के कालम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (नवोन्नत वर्ग) की श्रेणी से संबंधित नहीं है।

2. इस विभाग में इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के उम्मीदवार आरक्षण के लाभ प्राप्त करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र में, यद्यपि जाति/समुदाय के नाम का उल्लेख रहता है, परन्तु उस विशिष्ट संकल्प का उल्लेख नहीं किया जाता जिसके द्वारा उक्त जाति/समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल किया गया है।

3. उम्मीदवारों द्वारा सामना की गई ऐसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के परामर्श से इस मुद्दे की जांच की गई थी तथा यह निर्णय लिया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण-पत्र के मौजूदा प्रारूप में संशोधन किया जाए। संशोधित प्रारूप की प्रति संलग्न है **(अनुबंध)**। सभी प्रमाण-पत्र जारीकर्ता प्राधिकारियों से अनुरोध है कि वे **उस संकल्प (संख्या एवं तारीख) संबंधी ब्योरों का निरपवाद रूप से उल्लेख करें जिसके द्वारा उम्मीदवार की जाति/समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में शामिल किया** गया है तथा यह भी सुनिश्चित करें कि वह (उम्मीदवार) समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 8.9.1993 के उपर्युक्त का.ज्ञा. की अनुसूची के कालम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (नवोन्नत वर्ग) की श्रेणी से संबंधित न हो।

4. मुझे यह अनुरोध करना है कि प्रमाण-पत्र के संशोधित प्रारूप को राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेशों के अंतर्गत उन प्राधिकारियों के नोटिस में लाया जाए जिन्हें प्रमाण-पत्र को जारी करने के लिए अधिकार प्रदान किया गया है।

भवदीय,

(संदीप मुखर्जी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 011-23092110

प्रति

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवनदीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001.
3. लोक उद्यम विभाग, ब्लॉक सं. 14, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003.
4. रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली।
5. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/भारत का निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग।
6. कर्मचारी चयन आयोग, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
7. सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
8. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग/राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली।
9. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकूट-I, भीकाजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली को (उनके दिनांक 16.5.2013 के पत्र सं.एनसीबीसी/7/32/2012-आरडब्ल्यू।
10. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुरशाह जाफर मार्ग, नई दिल्ली-110002.
11. सूचना एवं सुविधा केन्द्र, डीओपीटी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
12. निदेशक, आईएसटीएम, पुराना जेएनयू कैम्पस, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली-110067.
13. एनआईसी, डीओपीटी को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे इस विभाग की वेबसाइट में का.ज्ञा. एवं आदेश-स्था.(आरक्षण)-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग में तथा "क्या नया है" के अंतर्गत भी अपलोड करे।

अनुबंध

भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के निमित्त आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों द्वारा दिए जाने वाला प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी_____राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _____जिला/मंडल_____ ग्राम/शहर_____ के निवासी हैं जो _____ समुदाय के हैं जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय के दिनांक _____के संकल्प संख्या _____के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।* श्री/श्रीमती/कुमारी _____ तथा उनका परिवार समान्यतया_____राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के _____जिला/मंडल के निवासी हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.1993** के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था.(एससीटी) की अनुसूची के कालम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (नवोन्नत वर्ग) की श्रेणी से संबंधित नहीं हैं।**

जिलाधिकारी
उपायुक्त इत्यादि

दिनांक

मोहर

---

*प्रमाण-पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प के ब्योरों का उल्लेख करना है जिसमें उम्मीदवार की जाति का अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख किया गया है।

** समय-समय पर यथासंशोधित

टिप्पणीः- यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतया" का वही अर्थ होगा जो अर्थ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।